



राष्ट्रीय हिंदू आंदोलन



'हिंदू राष्ट्रकी स्थापना' हेतु कार्यरत हिंदुत्ववादी संगठनोंका संयुक्त राष्ट्रीय उपक्रम !

संपर्क : ०९३२२५३३५९६

ई-मेल : hinducoordination@gmail.com

॥ जयतु जयतु हिन्दुराष्ट्रम् ॥

दिनांक : १२.१.२०१५

प्रति,

मा. संपादक/मुख्य पत्रकार,

प्रेस विज्ञप्ति के लिए !

'पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समिति' में करोड़ों रुपयों का घोटाला
घोटाले की सीबीआइ जांच कर भ्रष्टाचारियों को फांसी दो !

श्रीमहालक्ष्मी देवस्थान भ्रष्टाचार विरोधी कृति समिति ने आंदोलन का बिगुल बजाया !

कोल्हापूर - साडेतीन शक्तिपीठों में से एक श्री महालक्ष्मी मंदिर, करोड़ों श्रद्धालुओं के आस्थास्थान श्री जोतिबा देवालय के साथ ही कोल्हापूर, सांगली तथा सिंधुर्दग्ग इन ३ जिलों के ३०६७ देवस्थान जिस 'पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समिति' के नियंत्रण में हैं, उस समिति ने देवस्थान के व्यवस्थापन में तथा कार्यकालाप में बड़े-बड़े घोटाले किए हैं, इसका भांडाफोड आज हिंदू विधिज्ञ परिषद ने सबूतों के साथ किया। हिंदू विधीज्ञ परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष व मुंबई उच्च न्यायालय के अधिवक्ता श्री. वीरेंद्र इचलकरंजीकर ने सूचना के अधिकार से प्राप्त यह सारी जानकारी उजागर की। देवस्थान के ये घोटाले, भ्रष्टाचार अत्यंत गंभीर हैं और इस प्रकरण में देवस्थान समिति तत्काल शासनमुक्त कर भ्रष्टाचारियों को कठोर दंड दिया जाए। इस प्रकरण में शीघ्र ही राज्यव्यापी आंदोलन किया जाएगा और इसमें समविचारी संगठन तथा देवी के भक्त सहभागी हों, ऐसा आवाहन समस्त हिंदू संगठनों की ओर से हिंदू जनजागृति समिति के महाराष्ट्र राज्य संगठक श्री. सुनील घनवट ने पत्रकार परिषद में किया।

* देवस्थान समिति के घोटाले

वर्ष १९६९ से सन २००४ तक ३५ वर्षों का लेखापरीक्षण नहीं हुआ । सन २००४ के उपरांत एकत्र लेखापरीक्षण किया गया, उसके आगे भी इसी प्रकार वर्ष २००५ से २००७ तक एकत्र लेखापरीक्षण किया गया। वर्ष २००८ से आगे का लेखापरीक्षण अभी भी पूर्ण नहीं हुआ है। श्री महालक्ष्मी देवस्थान तथा केदारलिंग देवस्थान को छोड़कर प्रत्येक देवस्थान के अलंकार कितने हैं? उनका मूल्य क्या है? इस विषय में समिति के पास कोई भी रजिस्टर नहीं है। समिति स्थापित होनेके समय का एक रजिस्टर था; परंतु आगे उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई? अलंकारों का क्या किया गया, इसकी कोई जानकारी देवस्थान समिति के पास नहीं है। इसका अर्थ इन बातों की समिति ने जानबूझकर अनदेखी की है, यह दिखाई देता है। अनेक बार श्रद्धालु दान पेटी / सहायता पेटी में नकद के अतिरिक्त अलंकार भी डालते हैं। ऐसे अलंकारों का ध्यान रखना बाध्यकारी है, परंतु उसका उल्लेख ही नहीं है, ऐसी गंभीर बात भी लेखापरीक्षक तथा जिलाधिकारियों ने अपनी जांच में दिखानेपर भी उसका समाधान खोजने की अपेक्षा उसे कचरापेटी में डाल दिया गया।

* देवस्थानों के भूखंडों में भी बड़े अनुचित प्रकार

पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समिति के पास २००९-१० के सबूतों के अनुसार न्यूनतम २३००० से २५००० एकड़ भूखंड होते हुए भी २०१३ में वे ६७७७ हेक्टर १९ आर (अर्थात लगभग १६ हजार ९६१ एकड़) हो गए। शेष ७ हजार एकड़ भूखंड का क्या हुआ? इसका क्या अर्थ निकलता है? अनेक स्थानों पर इमारते हैं, वृक्षसंपत्ति है। ये भूखंड अनेक स्थानों पर किराए पर दिए हैं; परंतु उनसे कितना किराया आता है, इसका रजिस्टर नहीं है।

* अन्य कुछ गंभीर त्रुटियाँ

देवस्थान समिति के भूखंडों में से कुछ भूखंडों पर खननकर्म (माईनिंग) होती है; परंतु उसकी रॉयल्टी देवस्थानलको नहीं मिलती। लेखापरीक्षकों के अंदाजके अनुसार वर्ष २००७ में ही रॉयल्टी की शेष राशि २ से ३ करोड़ रुपए के आसपास थी। १९८५ से खननकर्म हो रहा है, तब भी देवस्थान को रॉयल्टी नहीं मिलती। खनन की अनुमति किसने दी, यह शासन को ज्ञात नहीं। शासन की अनुमति के बिना ही यह खनन हो रहा है। इससे यह हजारों करोड़ रुपयों का घोटाला होनेकी आशंका है। इस समिति में राजनीतिक दल तथा नेताओं के चाटुकारों को घुसाया गया है। इसलिए देवस्थान समिति का भ्रष्टाचार बढ़ता गया। विशेषरूप से देवस्थान समिति के झपलों की जानकारी होते हुए भी कांग्रेस गठबंधन शासन ने भ्रष्टाचारियों को

बचाकर जनता के साथ घोर विश्वासघात किया है। ऐसे घोटाले किसी भी मंदिर में न हों, इसके लिए भिन्न कानून बनाकर मंदिर भक्तों के नियंत्रण में दिए जाएं। जिससे वे हिंदू धर्म के वास्तविक अर्थों में ऊर्जकिंद्र बनेंगे, यह भाजपा-शिवसेना शासन से अपेक्षा है। इस प्रकरणमें शीघ्र ही हम भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनके जनक श्री. अण्णा हजारे से भी मिलेंगे तथा उनसे भी इस आंदोलन में सहभागी होने की विनती करेंगे।

* हमारी प्रमुख मांगें...

१. पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समिति के करोड़ो रुपयों के घोटाले की जांच केंद्रीय अन्वेषण अभिकरण से करवाई जाए।

२. 'पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समिति' को शासनमुक्त कर भ्रष्टाचारियों को कठोर दंड दिया जाए।

* सार्वजनिक आवाहन

१. इस आंदोलन के एक भाग के रूप में १५ जनवरी २०१५ को श्री महालक्ष्मी मंदिर में देवी से मन्त्रत मांगी जाएगी। उस समय सर्व हिंदुत्ववादी, श्रद्धालु तथा जिज्ञासु बड़ी संख्या में उपस्थित रहें।

२. २ फरवरी २०१५ को भव्य मोर्चा निकाला जाएगा। २ फरवरी 'एक दिन देवी का' ऐसा मानकर इस मोर्चे में तथा आंदोलन में हिंदू बड़ी संख्या में सहभागी हों।

३. इस समिति के भ्रष्टाचार, तथा अन्य किसी भी प्रकार की जानकारी हो, तो श्री. मधुकर नाड़रे के ९७६६३९३९२० इस चल-दूरभाष क्रमांक पर सूचित करें।

आपका विनम्र,

समिति
हिंदु जनजागृती

श्री. सुनील घनवट, महाराष्ट्र राज्य संघटक,
हिंदु जनजागृती समिति, संपर्क ९४०४९५६५३४